कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/22827/2016 / 1301 भोपाल, दिनांक 05/05/2020

प्रेषक,

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश।

प्रति,

उप वन महानिदेश (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– वन मंडल, सतना के परिक्षेत्र सतना के ग्राम सतरी के वन कक्ष क्र. RF-(Old 690) New - 776 के रकबा 37.00 हेक्टेयर वन भूमि में चुना पत्थर खनिज ओपन कास्ट पद्धति से उत्खनन कार्य हेतु आवेदक श्री श्रवण कुमार पाठक, सतना को उपयोग पर देने बावत

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC0036/2019-BHO/1147, दिनांक 22.11.2019

––0––

इस प्रस्ताव पर दिनांक 14.11.2019 को आयोजित आर.ई.सी. में चर्चा हुई थी। बैठक में इस प्रस्ताव के संबंध में चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

(i) Environmental Clearance under Environment (Protection) Act, 1986.

इस संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्टेट लेबल एक्सपर्ट अपराइजल कमेटी द्वारा पत्र दिनांक 22.09.2018 से इस खदान की TOR जारी की गई है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

खनिज प्रकरणों में सामान्यतः वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक अनुमति जारी होने के बाद ही पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है। अतः प्रकरण में अंतिम स्वीकृति जारी होने के पूर्व इसे आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii) Stock map of the proposed land for diversion as per approved working plan as the Google earth image shows the presence of trees in the proposed forest land for diversion.

इस संबंध में वनमण्डल अधिकारी, सतना ने अवगत कराया है कि आवेदित स्थल पर 20 से.मी. से अधिक गोलाई के कुल 3620 वृक्ष मौजूद है। इन वृक्षों की प्रविष्ठि प्रस्ताव के भाग–2 में कर दी गई है। प्रस्तावित स्थल को स्टाफ मैप पर अंकित कर प्रति संलग्न है।

(iii) The CA land on NFL, shows shift and 6.78 ha out 38.79 ha falling in nearby PF land. Thus, revised CA map, KML file along with the location of CA stock map showing forest boundary shall be submitted.

इस संबंध में वनमण्डल अधिकारी, सतना ने अवगत कराया है कि आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि का पुनः स्थल अवलोकन वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अमले द्वारा दिनांक 18.01.2020 को किया गया। स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि आवेदक संस्था द्वारा दी गई गैर वन भूमि का सम्पूर्ण भाग वन क्षेत्र के बाहर है। यह गैर वन भूमि कक्ष क्रमांक पी—801 से लगी हुई है। इस संबंध में मौके पर तैयार किया गया पंचनामा, जियो रिफरेंस मेप संलग्न है। गैर वन भूमि को वन मानचित्र पर भी अंकित कर एक प्रति संलग्न है।

(iv) Details of site specific CA scheme.

वनमण्डल अधिकारी, सतना द्वारा दोनों स्थलों की 11 वर्षीय रोपण योजना तैयार कर ली गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न प्रस्तुत है। इस वृक्षारोपण योजना को प्रस्ताव के भाग—2 में अपलोड भी कर दिया गया है। प्रस्ताव के भाग—2 की सत्यापित प्रति संलग्न है।

भवदीय

05/05/2020

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ—1 / FP/MP/MIN/22827/2016 / 1302

भोपाल, दिनांक 05/05/2020

प्रतिलिपिः—

1. वनमण्डलाधिकारी (सा.) वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश।
2. श्री श्रवण कुमार पाठक, सिमरिया चौक, चाणक्यपुरी, सतना, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/05/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल